न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 929/2017, 930/2017

1. सीताराम पुत्र बोदू
2. ग्यारसीलाल पुत्र बोदू
3. तीजा पत्नी बाबूलाल
4. अशोक पुत्र बाबूलाल
5. सुरेश पुत्र बाबूलाल
6. मूल्या पुत्र रोडू
7. मंगल पुत्र स्व. चन्दा उर्फ रामचन्द
8. झूंथाराम पुत्र स्व. चन्दा उर्फ रामचन्द

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बिन्दायका (भूतावाली) तहसील व जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स–

बनाम

1. लालाराम पुत्र स्व. श्री भींवाराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 श्री भींवाराम

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बिन्दायका (भूतावाली) तहसील व जिला जयपुर।
3. रमेशचन्द पुत्र भंवर
4. कालू पुत्र गुल्ला
5. डालू पुत्र गुल्ला
6. नन्दा पुत्र गुल्ला
7. हनुमान पुत्र नारायण
8. मंजूदेवी पत्नी बंशीलाल
9. अभिषेक पुत्र बंशीलाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता संजू देवी पत्नी बंशीलाल
10. पूजा पुत्री बंशीलाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मंजू देवी पत्नी बंशीलाल
11. प्रकाश पुत्र बोदू
12. प्रभू पुत्र स्व0 चन्दा उर्फ रामचन्द
13. गल्लू देवी पत्नी स्व0 चन्दा उर्फ रामचन्द

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बिन्दायका (बिन्दायका) तहसील व जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।
15. उप पंजीयन तृतीय जयपुर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री गौरीशंकर शर्मा अपीलान्टस की ओर से।

2– श्री गौरीशंकर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से।

3– श्री रामावतार शर्मा रेस्पोडेंट संख्या 3 ल0 10 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:– निर्णय :– दिनांक :– 22.05.2018

1– उक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2016 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06.03.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर उनवानी लालाराम बनाम रमेश चन्द वाद संख्या 40/2016 प्रस्तुत की गई हैं। उक्त दोनों निर्णय एक ही प्रकरण में किये जाने तथा विभाजन से संबंधित होने के कारण एक साथ निस्तारित किये जा रहे हैं।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिन्दायका तहसील व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 534, 534/2 क्रमशः 11 बीघा 15 बिस्वा, 6 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा में अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 5 व रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 एवं रेस्पोडेंट संख्या 12 व 13 का हिस्सा 1/111 व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/वादीगण का हिस्सा 220/1110 है, खसरा नम्बर 534/787 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 536 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 537 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 554 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 555 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 561 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा खसरा 562 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 563 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा में अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 5 व रेस्पोडेंट संख्या 11 का हिस्सा 1/6, अपीलान्ट संख्या 6 का 1/6 एवं अपीलान्ट संख्या 7 व 8 एवं रेस्पोडेंट संख्या 12 व 13 का हिस्सा 1/6 रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/वादीगण का हिस्सा 1/6 दर्ज रिकॉर्ड है। रेस्पोडेंट/वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष उक्त सह खातेदारान की कृषि भूमि के विषय में अपीलान्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.06.2016 को प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय पारित कर तहसीलदार जयपुर को निर्देश किया कि वे उक्त विवादित भूमि का खातेदारों में निहित हिस्सेनुसार सरस नरस के आधार पर उभयपक्षों को नोटिस देते हुए उनकी उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 08.07.2016 से पूर्व भिजवायें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.03.2017 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई। उक्त दोनों निर्णयों के विरूद्ध अलग–अलग अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि, विधान, न्याय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री में तहसीलदार जयपुर को उभय पक्षों की उपस्थिति में मौके पर सरस नरस तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, लेकिन तहसीलदार जयपुर ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व किसी भी प्रकार से कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया है और न ही हल्का पटवारी ने किसी भी प्रकार से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते समय सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया है और न ही रेवून्यू रूल्स 18 से 21 की पालना की गई है। कुर्रेजात रिपोर्ट रेस्पोडेंट/वादीगण से साज कर बिना मौके पर गये ही तैयार की गई हैं जो प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय पारित कर व उसी अनुपालना में आई एकपक्षीय कुर्रेजात रिपोर्ट को सही मानते हुए अन्तिम निर्णय व डिक्री अधीन अपील पारित कर भंयकर गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

सभी के हिस्से को मद्देनजर रखते हुए सभी के खाते अलग–अलग करने हेतु आदेशित व निर्देशित किया गया। जिसकी कतई पालना नहीं की गई व केवल वादीगण का हिस्सा अलग छांटते हुए विभाजन किया गया है। जबकि विभाजन में सभी सहकाश्तकारों का हिस्सा अलग किया जाना आवश्यक है। इसमें केवल वादी के हिस्से का विभाजन किया गया है तथा रेस्पोडेंट की भूमि हडपने के लिए व उनकी अच्छी भूमि पर कब्जा करने की गरज से ऐसा किया जाकर केवल मात्र वादी/रेस्पोडेंट का ही तकास्मा किया गया व अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि को अपने हिस्से में ले लिया गया। अपीलान्ट अशोक पटवारी हल्का के पास बैंक रहन को आगे बढाने के लिए जमाबन्दी व अन्य कागजात लेने हेतु गया तब पटवारी जी ने अवगत कराया कि एस.डी.ओ. जयपुर कोर्ट से तकासमा होकर आपके तो खसरा नम्बर बदल गये व तकासमा हो गया है। इसलिए पहले वाले खसरा नम्बर से जमाबन्दी नहीं मिलेगी तब अपीलान्ट ने अपने भाईयों को बताया व कलेक्ट्रेट एस0डी0एम0 कोर्ट में मालूमात कर दिनांक 09.10.2017 को नकल का आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 09.10.2017 को नकल दी गई। जिसके पश्चात् जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर अपील प्रस्तुततिकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांकं 30.06.2016 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2017 को अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अन्तिम डिक्री पर बहस करते हुए कथन किया गया कि तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिर्पोट तैयार करने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विभाजन के राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा सिर्फ वादी की भूमि का विभाजन किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 के संबंध में कथन किया गया कि पटवारी हल्का से बैंक रहन को आगे बढने के लिए जमाबन्दी व अन्य कागजात लेने हेतु जाने पर पटवारी ने अवगत कराया कि उनकी भूमि का तकासमा हो गया है। इस पर दिनांक 09.10.2017 को नकल आवेदन पेश कर नकल प्राप्त कर दिनांक 24.10.2017 को जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उपर्युक्त कथन किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन का वाद होने से दिनांक 30.06.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर उभय पक्षों की उपस्थिति में सरस नरस के आधार पर विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किये जाने बाबत् तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई हैं। उसके पश्चात् विधिवत रूप से कुर्रेजात रिर्पोट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उन पर विवेकपूर्ण विवेचन उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित की गई है। विभाजन कें नियम 18 से 21 की बखूबी पालना की गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2016 को दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दर्ज आदेशिका दिनांक 27.04.2016 में उल्लेख है कि "प्रतिवादीगण के नोटिस प्राप्त हुए है जो पत्रावली में शामिल है। नोटिस की तामील के आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 03.05.2016 को पेश हो।" दिनांक 03.05.2016 को एवं उसके पश्चात् 17.05.2016 व 26.05.2016 को कोई आदेश पारित नहीं कर पत्रावली दिनांक 28.06.2016 को नियत की गई है। उसके पश्चात् पत्रावली दिनांक 28.06.2016 को नहीं प्रस्तुत की जाकर दिनांक 30.06.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय तहसील जयपुर पर पेश हुई। दिनांक 30.06.2016 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि "वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादत तकासमा का है यदि पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाता है तो वाद कारण शेष नहीं रहेंगे। विभाजन की प्रक्रिया अन्तर्गत कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाना आवश्यक है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवेचन के उपरान्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन संबंधी प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली के समस्त नोटिसों पर एक ही टिप्पणी अंकित की गई है कि "आसामी अपने घर पर मौजूद मिला नोटिस लेने से मना किया ऐसे में नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चस्पा की गई।" इसके अतिरिक्त समस्त नोटिसों पर भगवानसहाय एवं कैलाश के बतौर गवाह हस्ताक्षर करवाये हुए है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 के बाबत् एक जैसी तामीली रिपोर्ट किया जाना एवं समान गवाहों द्वारा हस्ताक्षर करवाया जाना सन्देह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन नोटिसों की तामील के संबंध में अपनी आदेशिका दिनांक 03.05.2016 की पालना में कोई आदेश नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण की उक्त तामील को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली नियमित पेशी 28.06.2016 हेतु नियत थी तथा उसे 28.06.2016 को पेशी में नहीं लिया जाकर दिनांक 30.06.2016 को लोक अदालत कैम्प में रखा गया हैं जिसके संबंध में भी कोई नोटिस जारी किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से साबित नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2016 जारी किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण की पर्याप्त तामील नहीं करवाई गई है एवं उनकी अनुपस्थिति में तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2016 जारी की गई है जो कि अनुचित है तथा प्रतिवादीगण अपीलान्टस के प्राकृतिक अधिकारो के विपरीत है। इनके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 02.02.2017 में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसके पश्चात् दिनांक 06.03.2017 को प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की गई है। दिनांक 06.03.2017 की आदेशिका में उल्लेख किया गया है कि "वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात शामिल मिसल है। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है, यदि सही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वक्त पर पक्षकारों के मध्य विभाजन कर दिया जाता है तो वाद कारण शेष नहीं रहेंगे। अवलोकन किया गया। प्राप्त कुर्रेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाना स्वीकार्य है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विस्तृत निर्णय में भी उक्त विवेचन के अलावा कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को बिना सुने तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये बगैर तथा पर्याप्त तामील किये बगैर अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गई हैं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि रिपोर्ट में प्रतिवादीगण को नोटिस दिये जाने एवं उनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति कें संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर मात्र वादीगण के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये है तथा रिपोर्ट प्रतिवादीगण अपीलान्टस की अनुपस्थिति में तैयार की गई हैं। इस प्रकार अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री एक नॉन–स्पीकिंग आदेश है तथा मात्र वादी के अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर पारित किया गया है एवं प्रतिवादीगण अपीलान्टस को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है इसलिए उक्त आदेश सारभूत त्रुटि से ग्रसित है। जहां तक मियाद का प्रश्न है उपर्युक्त विवचेन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री जारी किये जाने से पूर्व न तो प्रतिवादीगण को समुचित तामील करवाई गई है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील के संबंध में आदेश पारित किया गया है ऐसे में प्रतिवादीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होना नहीं माना जा सकता है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत पारित किये गये हैं। अतः अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा उपर्युक्त विवेचन से अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2016 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06.03.2017 अपास्त किये जाने योग्य हैं तथा दोनों अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

8– अतः उक्त दोनों अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2016 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 06.03.2017 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरान्त गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सलंग्न की जावे।

9– निर्णय आज दिनांक 22–05–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर